राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.6(15)नविवि/3/87/पार्ट   जयपुर, दिनांकः 22 JAN 2016

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

AC(PRN)
22/1/16

विषयः– सहकारी समितियों द्वारा प्रस्तुत संशोधित रिकॉर्ड के संबंध में मार्गदर्शन देने बाबत्

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक जविप्रा/उपा./जोन–19/2015/डी–292 दिनांक 09.11.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निदेशानुसार लेख है कि जिन प्रकरणों में पूर्व में 60:40 के अनुपात में रिकार्ड पेश हो चुका है उन्हे उसी अनुपात से नियमित करने की कार्यवाही की जावें एवं जिन्होने पूर्व में रिकार्ड पेश नही किया है व PNR के लिये जारी आदेशों के क्रम में दिनांक 30.11.2014 तक प्रथम बार रिकार्ड पेश हुआ है उसमें 70:30 के अनुपात के आधार पर व जारी निर्देशों के अनुसार नियमन की कार्यवाही अमल में लाई जावें।

जिन्होने अद्यतन रिकार्ड में पूर्व में पेश रिकार्ड के विपरीत सुविधा क्षेत्र आदि में से अन्य भूखण्ड सृजित कर दिये है तो अतिरिक्त सृजित भूखण्डो के नियमन की कार्यवाही नही की जावें।

AC(PRN)R-87
25.01.16

DC 16, 17, 18, 19
(4)
AC(PRN)

भवदीय,
22/1/16
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय